web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 21 अगस्त 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 322

महत्वपूर्ण एवं खास

फिर होगा 26/11 जैसा हमला, मुंबई पुलिस को पाक नंबर से मिली धमकी- सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। धमकी देने वाले ने ट्रैफिक़ कंट्रोल के वॉट्सएप नंबर पर मैसेज में लिखा कि मुंबई में फिर 26/11 जैसा हमला किए जाने की सम्भावना है। यह धमकी भरा मैसेज पाकिस्तानी नंबर से आया है। मैसेज करने वाले ने लिखा है कि लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। इस मैसेज में बताया गया है कि 6 लोग हैं जो भारत में जो इस काम को अंजाम देंगे। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है।

हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से तबाही, कई घर और पुल बहे, 15 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तर भारत में भारी मॉनसूनी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य के मारे जाने की आशंका है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि राहत बचाव कर्मियों ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का दौरा किया, जहां बाढ़ के पानी में दो घर बह गए और आठ लोगों की मौत हो गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी मॉनसूनी बारिश का कहर जारी है। बारिश के बाद अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई घर पानी में बह गए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 13 अन्य लापता हैं, उनके जिंदा रहने की संभावना काफी कम है। राहत-बचाव दल खोजबीन में जुटी है।

सड़क हादसे में पिता और 2 बेटियों की मौत

बेंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक के तुमकुर जिले में शनिवार को एक वाहन और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पीड़ितों की पहचान 28 वर्षीय अविनाश, प्रणंति (पांच) और सौख्या (तीन) के रूप में हुई है। युवक और उसकी एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है। कलंबेला पुलिस जांच कर रही है। एक अन्य घटना में बेलगावी जिले के चिकोडी के पास अठानी कस्बे में शनिवार सुबह एक स्कूल बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 10 छात्र घायल हो गए और 2 चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना का कारण तेज गति से वाहन चलाना माना जा रहा है। घटना के संबंध में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है।

मूसलाधार बारिश से रौद्र रूप में गंगा, हरिद्वार में खतरे का निशान पार, ऋषिकेश में भी आया सैलाब

हरिद्वार (आरएनएस)। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात के चलते अब मैदानी इलाकों में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार सीजन में पहली बार 2 घंटे के भीतर दो बार गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण हरिद्वार से आगे के गंगा किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से गंगा किनारे ना जाने की अपील की जा रही है।

बता दें कि शुक्रवार रात से ही हरिद्वार में मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते हरिद्वार के तमाम उन इलाकों में जलभराव हो गया है जहां पर पूर्व में भी पानी भरता आया है। चाहे भगत सिंह चौक हो या फिर ज्वालापुर का कटहरा बाजार चौक बाजार चौहान मोहल्ला या फिर कनखल के बाजार जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात का असर हरिद्वार और उसके आगे के मैदानी इलाकों पर भी पडऩा शुरू हो गया है। इस बार के बरसाती सीजन में पहली बार गंगा ने 2 घंटे के भीतर खतरे के निशान को पार किया है। जिसने सिंचाई विभाग के साथ जिला प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 294.5 मीटर दर्ज किया गया जो 9 बजे घटकर 293.95 मीटर आ गया।

गंगा के लगातार बढ़ते वह घटते जलस्तर को देखते हुए उत्तराखंड सिंचाई विभाग जिला प्रशासन को इसकी सूचना लगातार दे रहा है। जिसके बाद 'जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे' ने गंगा पट्टी में स्थित तमाम बाढ़

चौकियों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी को भी गंगा के किनारे जाने की अनुमति न दी जाए। क्योंकि गंगा कभी भी मैदानी इलाकों में विकराल रूप धारण कर तबाही मचा सकती है।

'एसडीओ कैनाल एसके कौशिक' ने बताया कि हरिद्वार में गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आयी है, लेकिन अभी भी गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है, जो कभी भी मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी पूरी नजर गंगा के वाटर लेवल पर बनी हुई है। हमारी सभी टीम भीमगोड़ा बैराज पर लगातार मुस्तैद हैं। पल पल की जानकारी प्रशासन व पुलिस के साथ साझा की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके।

हिमाचल में आई बाढ़ में 4 की मौत, 15 लापता

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को रातभर हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य लापता हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। घटना में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर चक्की नदी पर बना रेलवे पुल भी गिर गया। मंडी जिले में कई स्थानों पर आपदा की सूचना मिली, जिसमें 15 लोग लापता हो गए। अन्य आपदा प्रभावित जिले चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर थे। मंडी में शेगली गांव में एक घटना की सूचना मिली, जिसमें एक घर बह गया। एक परिवार के छह सदस्य बह गए। गोहर सबडिविजन के काशांग गांव में एक और अचानक बाढ़ आई, जिसमें नौ लोग भूस्खलन के मलबे में दब गए। मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने मीडिया को बताया कि बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने के लिए मौके पर है। स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बुलेटिन के अनुसार, मंडी जिले के बल्ह, सदर, थुनाग, मंडी और लामाथाच में अचानक बाढ़ आने की सूचना है। चंबा जिले के बनेत गांव चौवारी तहसील में एक मकान के ढह जाने से भूस्खलन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने मीडिया को बताया कि 22 लोगों में से 18 को हमीरपुर जिले से सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्यभर में भारी बारिश के कारण जानमाल के नुकसान और संपत्ति के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव अभियान चलाने का आदेश दिया।

पुंछ में मदरसा समेत कई ठिकानों पर एसआईए का छापा, आतंकवाद के लिए हवाला राशि मामले में कार्यवाई जारी

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने मदरसा समेत कई ठिकानों पर छापा मारा है। आतंकवाद के लिए हवाला राशि मामले में यह कार्रवाई की जा रही है।

एसआईए की टीम सुबह 6 बजे से कार्रवाई में जुटी है। बस स्टैंड पर दो दिन पहले पकड़े गए मॉड्यूल के सदस्य के खुलासे पर यह कार्रवाई की जा रही है। बस स्टैंड से पकड़ा गया व्यक्ति मदरसा संचालक का ड्राइवर बताया जा रहा है।

आपको बता दें कि जम्मू बस स्टैंड से गुरुवार को गिरफ्तार लश्कर सहयोगी अब्दुल हमीद को हवाला का पैसा देने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू और दिल्ली पुलिस ने मिलकर दिल्ली के नलबंधन टर्कमैन गेट स्थित रहने वाले मोहम्मद यासीन को दबोचा है। यासीन के कब्जे से सात लाख रुपये की हवाला राशि बरामद की गई है।

पूछताछ में मोहम्मद यासीन ने खुलासा किया कि

हवाला का पैसा दक्षिण अफ्रीका के रास्ते भारत के सूरत और मुंबई में भेजा जा रहा है। यासीन इस हवाला शृंखला को दिल्ली में चला रहा था। दिल्ली से यह रकम अलग-अलग कोरियर के जरिए जम्मू-कश्मीर में ट्रांसफर की जाती थी। यह राशि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों लश्कर और अल-बद्र के गुर्गों को दी गई थी। हाल ही में मोहम्मद यासीन को दक्षिण अफ्रीका से हवाला के जरिये भेजे गए 24 लाख रुपये मिले। 24 लाख रुपये में से उसने दो अलग-अलग कोरियर के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गुर्गों को 17 लाख रुपये दिए।

आईजीआई पुलिस ने सबसे बड़े वीजा रैकेट का किया भंडाफोड़, चार लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय फर्जी पासपोर्ट और वीजा रैकेट चलाने वाले चार लोगों को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी तनु शर्मा ने बताया कि उनके पास से 325 फर्जी पासपोर्ट, 175 फर्जी वीजा और अन्य संबंधित चीजें बरामद की गई हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा, गिरोह का मास्टरमाइंड जाकिर यूसुफ शेख है। आईजीआई यूनिट को गिरोह के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद इसका

भंडाफोड़ किया गया।

इससे पहले आईजीआई एयरपोर्ट के थाने में पीपी एक्ट का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें गुजरात के गांधीनगर निवासी यात्री रवि रमेशभाई चौधरी को फर्जी पासपोर्ट के आरोप में कुवैत से पकड़ा गया था। जांच के दौरान पाया गया कि फर्जी पासपोर्ट की व्यवस्था मुंबई के निवासी जाकिर यूसुफ शेख और मुश्ताक उर्फ जमील पिक्च रवाला नामक एजेंटों द्वारा की गई थी, जिन्हें रवि रमेशभाई चौधरी से गुजरात के नारायणभाई चौधरी नाम के एक स्थानीय एजेंट ने मिलवाया गया था।

पुलिस ने जांच के दौरान शेख और पिक्च रवाला दोनों एजेंटों को उनके साथी इम्तियाज अली शेख उर्फ राजू भाई और संजय दत्ताराम चव्हाण को मुंबई से गिरफ्तार किया।

325 भारतीय पासपोर्ट, 175 वीजा, 1200 से अधिक टिकट, 11 अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, 75 पासपोर्ट जैकेट, 17 आधार कार्ड, 12 रंगीन प्रिंटर, जाली भारतीय पासपोर्ट बनाने के लिए डाई, दो लेमिनेशन मशीन, एक पेपर कटर मशीन, दो यूवी मशीन, फोटो पॉलीमर स्टाम्प बनाने की मशीन और अन्य आपत्तिजनक सबूत बरामद किए गए। फरार एजेंट नारायण भाई की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली शराब नीति मामला : सीबीआई ने आरोपियों से शुरू की पूछताछ, 3 के बयान दर्ज, ईडी संग शेयर की एफआईआर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ शुरू करने के दौरान तीन आरोपियों के बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एजेंसी शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 के नाम हैं।

अधिकारियों ने कहा कि तीनों आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया जहां उनके बयान दर्ज किए गए और तलाशी के दौरान बरामद वित्तीय लेन-देन के कुछ दस्तावेजों के साथ उनका सामना कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि एक बार दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ बैंक लेनदेन की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अन्य आरोपियों को भी समन जारी किया जाएगा।

ईडी करेगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच- बुधवार को एक विशेष अदालत के समझ दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ भी साझा किया गया है। ईडी एक वित्तीय जांच एजेंसी है, जो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करेगी।

एजेंसी ने शुक्रवार को 31 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सिसोदिया से संबंधित परिसरों के साथ-साथ कुछ नौकरशाह और व्यवसायी भी शामिल थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आप ने भी सीबीआई के इन छापों की निंदा करते हुए दावा किया कि सीबीआई अधिकारियों को आप नेताओं को परेशान करने के लिए ऊपर से आदेश दिया गया है। वहीं, भाजपा ने दिल्ली सरकार से अपनी आबकारी नीति पर सफाई देने को कहा है।

सीबीआई जांच के तहत इंडोस्प्रिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों में कम से कम दो भुगतान किए गए हैं, जो आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे।

एफआईआर में इन तीन आरोपियों के भी नाम- एफआईआर में गुरुग्राम में बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे पर सिसोदिया के करीबी सहयोगी होने का आरोप लगाया गया है, जो शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ को आरोपी लोक सेवकों तक पहुंचाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

सीबीआई टीम के सिसोदिया के आवास से शुक्रवार रात करीब 11 बजे निकलने से पहले करीब 15 घंटे तक तलाशी अभियान जारी रहा।

आप नेता के घर, आईएएस अधिकारी और पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा के आवास और 29 अन्य स्थानों पर तलाशी तब हुई जब सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए प्राथमिकी दर्ज की। पिछले नवंबर, अधिकारियों ने कहा।

महिलाओं को घूरना अब होगा अपराध, मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ संशोधन

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। संशोधित अधिनियम के तहत, बस कंडक्टर को किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा।

महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी।

संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी। कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा। नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

पेयजल प्रदूषण पर एनजीटी ने जल शक्ति मंत्रालय को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पीने योग्य पानी के इस्तेमाल और इसके दूषितकरण के मुद्दे पर केंद्रीय जल मंत्रालय से जवाब मांगा है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आदर्श कुमार गोयल ने हरियाणा के सोनीपत में बरही औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक यूनिट के कथित हरित उल्लंघन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्रालय और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

आदर्श कुमार गोयल ने कहा,

हम देख रहे हैं कि एक ओर जहां पीने योग्य पानी को औद्योगिक कार्यों में उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर, इस तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले सीवेज के पानी को बरसाती नालों और नदियों में पीने योग्य पानी के साथ मिश्रित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पेय जल को दूषित कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा, एक व्यापक जल प्रबंधन रणनीति के लिए प्रदूषण को रोकने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, इस उद्देश्य के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी करना आवश्यक है।

पीठ ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए भी नोटिस जारी किया कि क्या अति-शोषित क्षेत्रों में भूजल निकालने की अनुमति दी जा सकती है।

एक जज 50 मामलों का निपटारा करता है... तो 100 और केस हो जाते हैं दायर : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

नई दिल्ली (आरएनएस)। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के करीब पहुंचने पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई न्यायाधीश 50 मामलों का निपटारा करता है, तो 100 नए मामले दायर हो जाते हैं, क्योंकि लोग अब अधिक जागरूक हैं और वे विवादों के निपटान के लिए अदालतों में पहुंच रहे हैं।

रिजिजू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शनिवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कामकाज पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है।

देशभर की अदालतों में 4.83 करोड़ मामले लंबित- विधि मंत्री ने संसद के मानसून सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि देशभर की अदालतों में 4.83 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में चार करोड़ से अधिक और सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से अधिक केस पेंडिंग हैं। मंत्री ने कहा

कि मध्यस्थता पर प्रस्तावित कानून से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर नए सिरे से ध्यान देकर अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

दूसरे देशों में लंबित मामलों से तुलना सही नहीं- रिजिजू ने कहा कि भारत और अन्य देशों में लंबित मामलों की कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याएं अलग हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी आबादी पांच करोड़ भी नहीं है जबकि भारत में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के करीब है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधि मंत्रालय त्वरित न्याय देने में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की हर संभव मदद करेगा।